भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. 60*

06 फरवरी, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

किराए का किफायती आवास परिसर संबंधी योजना

60. श्री पी.पी. चौधरी

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की क्या करेंगे कि:

(क) पथ विक्रेताओं, कारखाना श्रमिकों और घरेलू नौकरों सहित ऐसे कुल कितने शहरी श्रमिक हैं जो किराये का किफायती आवास परिसर (एआरएचसी) सबंधी योजना से लाभान्वित हुए हैं तथा बाजार दरों की तुलना में उनकी किराए में औसतन कितनी बचत हुई है;

(ख) क्या मौजूदा एआरएचसी परियोजनाओं की सफलता के कोई ऐसे प्रमाण है जिनसे यह पता चले कि लाभार्थियों के रहन-सहन की स्थिति बेहतर हुई है और उनके जीवन में वित्तीय स्थिरता आई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई मूल्यांकन किया गया है कि एआरएचसी से कार्यस्थलों के निकट आवास प्रदान किए जाने से शहरी श्रमिकों के दैनिक आवागमन के समय और लागत को कम करने में किस प्रकार सहायता मिली है और यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष रहे हैं, और

(घ) क्या एकल महिना श्रमिकों और छात्रों सहित विविध शहरी प्रवासियों को बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए एआरएचसी की रूपरेखा तैयार करने में किसी नवाचार की योजना बनाई गई है और यदि हा, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य मंत्री

(श्री मनोहर लाल)

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

किराए का किफायती आवास परिसर संबंधी योजना के संबंध में 06.02.2025 को लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 60* के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (घ): आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) ने शहरी प्रवासियों/गरीबों को उनके कार्यस्थल के पास सम्मानजनक जीवन प्रदान करने के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना - शहरी (पीएमएवाई-यू) की एक उप-योजना के रूप में किफायती किराया आवास परिसरों (एआरएचसी) की शुरुआत की। यह योजना दो मॉडलों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है:

i. मॉडल-1: जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) और राजीव आवास योजना (आरएवाई) के तहत निर्मित मौजूदा सरकारी वित्त पोषित खाली आवासों का उपयोग सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) या सार्वजनिक एजेंसियों के माध्यम से एआरएचसी में परिवर्तित करके,

ii. मॉडल-2: सार्वजनिक/ निजी संस्थाओं द्वारा अपनी उपलब्ध खाली भूमि पर एआरएचसी का निर्माण, संचालन और रखरखाव करके।

एआरएचसी के लाभार्थी शहरी प्रवासी/आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस)/निम्न आय समूह (एलआईजी) के गरीब लोग हैं। इनमें मज़दूर, शहरी गरीब (पथ विक्रेता, रिक्शा चालक, अन्य सेवा प्रदाता आदि), औद्योगिक कामगार, और बाज़ार/व्यापार संघों, शैक्षणिक/स्वास्थ्य संस्थाओं, आतिथ्य क्षेत्र के साथ काम करने वाले प्रवासी, दीर्घकालिक पर्यटक/आगंतुक, छात्र या ऐसी श्रेणी के अन्य व्यक्ति शामिल हैं।

मॉडल-1 के तहत, अब तक विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों(यूटी) में 5,648 मौजूदा सरकारी वित्तपोषित खाली आवासों को एआरएचसी में परिवर्तित किया जा चुका है। मॉडल-2 के तहत, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने 7 राज्यों में 82,273 नई एआरएचसी इकाइयों के प्रस्तावों को मंजूरी दी है, जिनमें से 35,425 पूरी हो चुकी हैं और शेष निर्माण/आरंभ के विभिन्न चरणों में हैं। ये एआरएचसी पात्र लाभार्थियों को सस्ती दर पर सभी नागरिक सुविधाओं के साथ सम्मानजनक जीवन प्रदान करते हैं। दोनों मॉडलों के तहत एआरएचसी की राज्य/शहर-वार प्रगति अनुलग्नक में दी गई है।

योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, एआरएचसी का आरंभिक किफायती किराया स्थानीय सर्वेक्षण के आधार पर स्थानीय प्राधिकरण द्वारा तय किया जाता है। इसके बाद, अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की तिथि से प्रभावी 5 वर्षों की अवधि में, कुल मिलाकर 20% की अधिकतम वृद्धि के अधीन, हर दो साल में 8% की दर से किराया बढ़ाया जाता है। 25 वर्षों की पूरी रियायत अवधि के दौरान इसी व्यवस्था का पालन किया जाता है। विभिन्न राज्यों/संघ राज्य

क्षेत्रों/शहरों में एआरएचसी में किराए की इकाइयों में रहने वाले लाभार्थियों और उनसे वसूले जाने वाले किराए का विवरण इस मंत्रालय द्वारा नहीं रखा जाता है।

अब तक, मंत्रालय ने एआरएचसी योजना के तहत कार्यस्थलों के पास आवास प्रदान करके शहरी श्रमिकों के लिए दैनिक आवागमन के समय और लागत में कमी का कोई आकलन नहीं किया है।

पीएमएवाई-यू के 9 वर्षों के कार्यान्वयन के अनुभवों से सीख लेकर, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने देश भर के शहरी क्षेत्रों में कार्यान्वयन के लिए 01.09.2024 से "सभी के लिए आवास" पीएमएवाई-यू 2.0 मिशन शुरू किया है, ताकि 1 करोड़ अतिरिक्त पात्र लाभार्थियों द्वारा चार घटकों यानी लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), किफायती किराया आवास (एआरएच) और ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस) के माध्यम से किफायती लागत पर आवास बनाए, खरीदे और किराए पर लिए जा सकें।

पीएमएवाई-यू 2.0 के एआरएच घटक का उद्देश्य प्रवासी श्रमिकों और अन्य गरीबों सहित ईडब्ल्यूएस/एलआईजी लाभार्थियों के लिए किराये के आवास के निर्माण को बढ़ावा देना है, जो आवास नहीं चाहते हैं लेकिन उन्हें अल्पावधि के लिए आवास की आवश्यकता है।

एआरएच घटक को दो मॉडलों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है:

i. मॉडल-1: मौजूदा सरकारी वित्त पोषित खाली आवासों को पीपीपी मोड के माध्यम से या सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा एआरएच में परिवर्तित करके,
ii. मॉडल-2: शहरी गरीबों, कामकाजी महिलाओं, उद्योगों के कर्मचारियों, औद्योगिक संपदाओं, संस्थाओं और अन्य पात्र ईडब्ल्यूएस/एलआईजी परिवारों के लिए निजी/सार्वजनिक संस्थाओं द्वारा किराये के आवास के निर्माण, संचालन और रखरखाव करके।

एआरएच घटक का उद्देश्य किफायती किराया आवास स्टॉक बनाने और शहरों में स्लम समूहों की बढ़ती संख्या को रोकने के लिए सार्वजनिक/निजी संस्थाओं को निवेश का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करके एक अनुकूल वातावरण बनाना है।

*****

दिनांक 06.02.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 60 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

क. योजना के मॉडल-1 के तहत लाभार्थियों के लिए एआरएचसी में परिवर्तित किए गए सरकारी वित्त पोषित मौजूदा खाली आवासों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण।

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	शहर का नाम	एआरएचसी में परिवर्तित किए गए खाली आवासों की संख्या
1.	चंडीगढ़	चंडीगढ़	2,195
2	गुजरात	सूरत	393
3.		अहमदाबाद	1,376
4		राजकोट	698
5	राजस्थान	चित्तौड़गढ़	480
6	जम्मू और कश्मीर	जम्मू	336
7	उत्तराखंड	लालकुआँ	100
8		देहरादून	70
कुल			5,648

ख. योजना के मॉडल-2 के तहत सार्वजनिक/निजी संस्थाओं द्वारा स्वीकृत और पूर्ण की गई एआरएचसी इकाइयों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण:

क्र. सं.	नाम		कुल इकाइयां	पूरा किया गया निर्माण
	राज्य	शहर		
1.	तमिलनाडु	श्रीपेरंबुदुर	18,112	6,160
2		श्रीपेरंबुदुर,	3,969	3,969
3.		होसुर	13,500	6,576
4		चेन्नई	18,720	18,720
5		चेन्नई	1,040	-
6		चेन्नई	5,045	-

7	छत्तीसगढ़	रायपुर	2,222	-
8	असम	कामपुर टाउन	2,222	-
9	उत्तर प्रदेश	प्रयागराज	1,112	-
10	गुजरात	सूरत	453	-
11	तेलंगाना	निजामपेट	14,490	-
12	आंध्र प्रदेश	काकीनाडा	736	-
13		विजयनगरम	652	-
कुल			82,273	35,425